प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अंतर्गत विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 तथा लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के गठन एवं कार्यप्रणाली और अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित पेंशन योजनाओं को शामिल करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।